कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 87 दिनांकः– 18.1.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– गुमला बाईपास पथ निर्माण हेतु कुल 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक–3653 दिनांक–01.09.2017 ।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 12 शर्त्तों पर सैधान्तिक सहमति प्रदान की गई है। स्टेज–I में लगाई गयी शर्त्तों का अनुपालन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक–2253 दिनांक–22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के प्रतिवेदनानुसार स्टेज–I में लगाई गयी शर्त्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत है :–

क्र0 सं0	शर्त्तें	अनुपालन की स्थिति
(i)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रखी जाएगी। **अनु0–I(i)**
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 7.65 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	NPV की राशि की माँग के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल रू0 61,42,950.00 (एकसठ लाख बयालीस हजार नौ सौ पचास) मात्र झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–344902010105420 IFSC Code-UBIN0534498 में जमा कर दिया गया है। **(अनु0–II),** परन्तु इसे e-portal के माध्यम से जमा नही किया गया है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया जा रहा है कि प्रयोक्ता अभिकरण को सुधार हेतु स्मारित करें। वांछित अनुपालन प्राप्त होने पर इसकी सूचना बाद में दी जायेगी।
(iii)	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई अंतर राशि जमा करना बाध्य्रकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दी गई है, कि NPV की बढ़ी हुई अंतर राशि जमा कर दी जाएगी। **अनु0–III**
(iv)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि CAMPA खाता में जमा कर दिया गया है। **अनु0–II**
(v)	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किंसी भी परिस्थिति में 281 वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 281 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। **अनु0–I(V)**
(vi)	पथ निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण्र को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि पथ निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। **अनु0–I(vi)**
(vii)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा। **अनु0–I(vii)**

E:\ANUJ\Kaimuddin\Gumla Bypass.docx

172

(viii)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। **अनु0–I(viii)**
(ix)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को परियोजना खर्च पर ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी। **अनु0–I(ix)**
(x)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। **अनु0–I(x)**
(xi)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस इस परियोजना के अन्दर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस इस परियोजना के अन्दर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। **अनु0–I(xi)**
(xii)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नही के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि उपर्युक्त सभी शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा। **अनु0–I(xii)**

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रदत् स्टेज–I में लगाई गई शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है, अथवा वचनवद्धता दी गई है। अनुपालन प्रतिवेदन को राज्य सरकार को भेजने हेतु वन विभागीय पत्रांक–4542 दिनांक–08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 87 दिनांक– 18.1.18

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को एक प्रति के साथ/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रयोक्ता अभिकरण से पत्र की कंडिका–2 से संबंधित वांछित प्रतिवेदन (e-portal) के माध्यम से राशि जमा करा कर अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करें। इस हेतु आपको बार–बार स्मारित किया जा चुका है।

17.01.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

E:\ANUJ\Kaimuddin\Gumla Bypass.docx

17.1.18

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन भवन डोरण्डा, राँची –834002
e-mail- rccfranchi@gmail.com , Ph: (0651) 2481907

पत्रांक 2253 दिनांक 22/12/17

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषयः– **गुमला बाईपास पथ निर्माण हेतु कुल 7.65 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार का पत्र संख्या– 3653 दिनांक 01.09.2017, प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 4132 दिनांक 13.09.2017 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 2348 दिनांक 11.12.2017**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषयक वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 2348 दिनांक 11.12.2017 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वन भूमि अपयोजन के सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) के कम में लगाये गए कुल 12 (बारह) शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालित प्रतिवेदन जो वन वन संरक्षक, गुमला वन प्रमंडल द्वारा समर्पित है, कुल 06 (छः) प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(महेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

3635
26/12/17

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

e-mail :- cfgumla@gmail.com Ph. No. :- 06524-221236

झारखण्ड सरकार

पत्रांक 2348 / दिनांक 11/12/17 /

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषय :– गुमला बाईपास पथ निर्माण हेतु कुल 7.65 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:– भवदीय का पत्रांक 1605 दिनांक 20.09.2017 एवं वन संरक्षक, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला का पत्रांक 3403 दिनांक 09.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, वन संरक्षक, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला ने अपने पत्रांक 3403 दिनांक 09.12.2017 से विषयगत परियोजना हेतु वन भूमि अपयोजन के सैद्धॉतिक सहमति (Stage-I) के साथ लगाये गये शर्त संख्या (i) से (Xii) तक का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत समर्पित किया हैं :–

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक 3653 दिनांक 01.09.2017 में दिये गये शर्त		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन एवं वन संरक्षक, गुमला वन प्रमण्डल की टिप्पणी।
(i)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रखी जाएगी। **अनु0–I (i)**
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 7.65 हे0 वन भूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	NPV की राशि की मॉग के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल रू0 61,42,950.00 (एकसठ लाख बयालीस हजार नौ सौ पचास) मात्र झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या 344902010105420 IFSC Code- UBIN0534498 में जमा कर दिया गया है। **अनु0--II**
(iii)	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दी गई है कि यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई अंतर राशि जमा कर दी जाएगी। **अनु0–III**
(iv)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि CAMPA खाता में जमा कर दिया गया है। **अनु0–II**
(v)	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 281 वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 281 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। **अनु0–I (v)**

162

(vi)	पथ निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि पथ निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। **अनु0–I (vi)**
(vii)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। **अनु0–I (vii)**
(viii)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। **अनु0–I (viii)**
(ix)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा जॉच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को परियोजना खर्च पर ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जाएगी। **अनु0–I (ix)**
(x)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकारी की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिशितच करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकारी की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। **अनु0–I (x)**
(xi)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना के इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना के इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा। **अनु0–I (xi)**
(xii)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया गया है कि उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। **अनु0–I (xii)**

अतः वनं संरक्षक, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला का पत्रांक 3403 दिनांक 09.12.2017 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की 07 (सात) प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

आपका विश्वासी

अनु0–यथोक्त।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अचंल, गुमला।

11/12/17